A CLASS APART

Sebi has proposed a new asset class. How far can it quench the risk-taker's thirst?

ABHISHEK KUMAR
Mumbai, 8 August

In December 2023, Sebi chief Madhabi Puri Buch (*pictured*) had said, "We feel that there is room for an additional asset class somewhere between mutual funds and PMS... Sebi is looking into a whole new asset class"

Mumbai-based Mayank Mehta has been investing in mutual funds (MFs) sporadically over the past 10 years. Though he often signs monthly cheques for systematic investment plans (SIPs), he is more inclined towards derivatives. "Most of my MF investments have yielded good returns, but I am more drawn to derivatives trading. It gives the adrenaline rush that the slow-grinding MF investments don't," says the 30-year-old software engineer.

Mehta concedes that derivatives are not easy to crack and one can often end up on the losing side. He also takes cues from random messages on social media, but cautions that "sometimes they work, often they don't."

Mehta feels the sweet spot would be to have an expert or fund manager invest his money in derivatives. To be sure, there are portfolio management services (PMS) and alternative investment funds (AIFs) that take riskier bets. However, their minimum ticket sizes are ₹50 lakh for PMS and ₹1 crore for AIFs.

Those like Mehta, who want to invest a few lakh rupees in derivatives have to either resort to the do-it-yourself technique or settle for MFs, which are allowed to use the derivatives segment only for hedging. Mehta is yet to fall in the trap of schemes that promise unrealistically high returns, but several others have.

To address this problem, the Securities and Exchange Board of India (Sebi), the markets regulator, has proposed a new asset class that will sit in between MFs and PMS or AIFs. The minimum ticket size for the yet-to-be-named asset class is proposed to be ₹10 lakh.

The regulator has said the structure of the proposed asset class will be akin to MFs, but it will be allowed to offer riskier investment strategies. The various investment thresholds in debt securities or real estate investment trusts (REITs) and infrastructure investment trusts (InvITs) will be slightly more relaxed vis-à-vis MFs.

If the proposal is accepted, the Indian markets will see the launch of structured investment products that will be within the reach of many investors.

Long and short of it

Some such strategies will be the globally popular 'long-short equity fund' — which seeks to deliver superior returns by taking both long and short positions in equities depending on the outlook — or an inverse exchange traded fund or bear funds, a fund that generates positive returns when the market falls.

Currently, there is no structured product available to those who have a negative outlook. This drives them to derivatives, where only one out of 10 investors makes profits

Currently, if you have a negative outlook on the overall markets, or a sector, or a stock, there is no structured product available for investment. As a result, investors get drawn to the derivatives market, where only one out of 10 investors is able to generate profits and where retail losses exceed ₹50,000 crore in a financial year.

On the product side, the new asset class will help plug a gap not just in the equity space but also in the debt space.

"There is a gap in the structure of debt products in MF space, where the daily liquidity provision has made it difficult to manage credit or accrual propositions. This is because the rush of investors exiting the fund in case of possibility of a credit event poses a liquidity challenge and results in propositions for existing investors becoming unattractive on risk-reward propositions for no fault of theirs and all this even before the event happens. A healthy capital market requires development of both equity and debt markets," said Akhil Chaturvedi, Executive Director, Motilal Oswal AMC.

Tax structure the key

MFs enjoy an edge over PMS products. Their portfolio churn does not attract short- or long-term capital gains tax (STCG or LTCG). It remains to be seen whether the new asset class will enjoy an MF-like structure, which will be a key to its appeal.

As the new asset class's broad operational and legal framework will be borrowed from MFs, experts believe it may also get the LTCG and STCG pass-through status at the fund. This will give them an edge as Category 3 AIFs do not have similar status. In the case of PMS, the investor has to pay the taxes on the capital gains whenever the fund manager makes a profitable trade.

"The biggest use case will be tax. This structure, being part of the mutual fund umbrella, gets the benefit of no taxation at a vehicle level. On the other hand, PMS is a pass-through, while Cat 3 AIF needs to pay tax at the level of the trust," said Somnath Mukherjee, CIO and Senior Managing Partner, ASK Private Wealth.

PMS and AIF providers believe the introduction of NAC will put the spotlight on levelling the playing field when it comes to tax structures, or they could route their investments through the new structure.

"I strongly feel PMS and AIF should be given the option to participate in this new asset class. They are suited to handle HNI money," said Manish Bhandari, CEO and Portfolio Manager of PMS firm Vallum Capital Advisors and a board member of the Association of Portfolio Managers in India.

Distribution model

Though the proposed new asset class has got the market excited, some believe it may not offer something which is not already available.

According to Mukherjee, the new asset class is unlikely to offer a new use case and will only compete with PMS and AIF. Soumya Sarkar, co-founder of MF distribution firm Wealth Redefine, said that though the new asset class may have its own advantages, adoption might take off only after investors get a hang of the new offering.

Given the rising share of non-financial assets in domestic households, more investment avenues will be welcome and there will be space for each vehicle, as it will cater to a different class of investors.

The key area the Sebi consultation paper does not delve into is the revenue structure for the manufacturers. This is also the area, say experts, that can weaken the new asset class as a concept. Some in the MF industry believe the structure will mostly be similar to that of MFs, wherein expenses are charged at the fund level based on its size. In comparison, PMS regulations also allow firms to charge a performance fee.

MF players say that though a performance fee is a good idea, it is not easy to implement in a pooled investment product, especially the open-ended ones. Sebi had mooted the idea of performance fee in MFs early last year, but it did not materialise.

NEW DAWN

SOME STRATEGIES THAT THE NEW ASSET CLASS COULD OFFER

LONG SHORT FUNDS
Funds that take both long and short positions in equities

REVERSE ETFs
Scheme's returns have a negative correlation to the underlying index

HIGH-RISK DEBT FUNDS
Funds that invest in lower-rated papers and can also maintain a concentrated portfolio

Sebi envisages that the new asset class can take riskier bets compared to MFs

	MF	New product category
Minimum investment size	₹100	₹10 lakh
Derivatives exposure	For hedging	Naked
Single company exposure	10% of corpus	15% of corpus
Single issuer exposure for debt securities	10% of corpus	20% of corpus
Sector-level limits for debt securities	20%	25%

SHARP SURGE IN MF HNI, PMS AUM OVER THE YEARS

However, the number of PMS clients has been stagnant at 0.16 million over the last four years

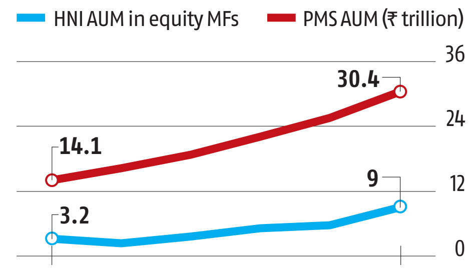

HNI: High net-worth individual, PMS: Portfolio management service, AUM: Assets under management
AUM as of the end of the financial year; PMS AUM (almost 80% which is of EPFO) | Data only includes discretionary and non-discretionary PMS
Sources: Amfi, Sebi

वक्फ विधेयक पेश, जेपीसी को भेजा

विपक्षी दलों ने विधेयक को बताया संविधान के विरुद्ध

अर्चिस मोहन

लोक सभा में गुरुवार को विधेयक पेश करते केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू

केंद्र सरकार ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक लोक सभा में पेश किया। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने जहां इसे संविधान विरोधी बताया और मुसलमानों को निशाना बनाने के मकसद से लाने का आरोप लगाया। वहीं सत्ताधारी राजग गठबंधन में महत्त्वपूर्ण घटक तेदेपा और जदयू ने इसका समर्थन किया। यह विधेयक बाद में दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति बनाने के लिए वह सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे। 18वीं लोक सभा में पहली बार किसी विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया है।

लोक सभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश करने वाले केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि इसमें प्रस्तावित संशोधन 1995 के वक्फ कानून की कमियों को दूर करेगा और वक्फ बोर्ड को बंधनों से मुक्त करेगा। अभी कई मामलों को देखकर ऐसा लगता है कि यह माफिया की गिरफ्त में पहुंच गया है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995' करने का भी प्रावधान है, जिसके जरिये सरकार का इरादा पूरी व्यवस्था में सुधार करना का है, ताकि आम मुसलमानों को न्याय मिल सके और यह उनके हित में काम कर सके। रीजीजू ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों में हितधारकों को इसके आदेशों को उच्च अदालतों में चुनौती देने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका प्रावधान वक्फ कानून (1995) में नहीं था।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रीजीजू ने कहा कि विधेयक में किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है तथा संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, 'वक्फ संशोधन पहली बार सदन में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद सबसे पहले 1954 में यह विधेयक लाया गया। इसके बाद कई संशोधन किए गए।'

रीजीजू ने कहा कि व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श के बाद यह संशोधन विधेयक लाया गया है जिससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा।

उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय बनी सच्चर समिति और एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का उल्लेख किया और कहा कि इनकी सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक लाया गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोक सभा में पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान और संघवाद पर हमला है तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर हमला है। उन्होंने सवाल किया, 'उच्चतम न्यायालय के आदेश से अयोध्या में मंदिर बोर्ड का गठन किया गया। क्या कोई गैर हिंदू इसका सदस्य हो सकता है। फिर वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य की बात क्यों की जा रही है?'

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। विधेयक में सारी ताकत जिला अधिकारी को देने की बात कही गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह सरकार दरगाह, मस्जिद और वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार मुसलमानों की दुश्मन है, उसका सबूत यह विधेयक है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सदन में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 'डीएम राज' लाकर वक्फ संपत्तियों को तितर-बितर करने की साजिश हो रही है।

विनेश ने कुश्ती को कहा अलविदा

भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलिंपिक में स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले अयोग्य ठहराये जाने के बाद अपनी मां को संबोधित एक भावुक संदेश में कुश्ती को अलविदा कहने की घोषणा की और कहा कि अब आगे खेलने की ताकत नहीं है। विनेश को बुधवार को महिलाओं के 50 किग्रा वर्ग के फाइनल से पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था। उन्होंने 'एक्स' पर संन्यास की घोषणा की। अपनी मां प्रेमलता को संबोधित करते हुए 29 वर्षीय विनेश ने लिखा, 'मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना। आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब।' दो बार की विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता ने कहा, 'अलविदा कुश्ती 2001-2024। मैं आप सभी की हमेशा ऋणी रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए।' **भाषा**

'सुधारवादी' राजनेता थे बुद्धदेव

आदिति फडणीस

स्मृति शेष

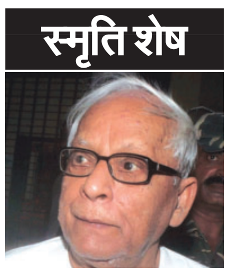

उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आक्रोश से भरे युवा के रूप में की थी। बाद के दिनों में उन्होंने अपनी विचारधारा को व्यावहारिक राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया लेकिन इसमें उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। ताउम्र मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सदस्य रहे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार को निधन हो गया, वह 80 वर्ष के थे।

उनकी पार्टी के ही आलोचकों ने उन्हें छद्म नव उदारवादी कहकर अपमानित किया लेकिन वह आखिर तक साम्यवाद की धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद में यकीन करते रहे। वह अपने अपेक्षाकृत कट्टर साथियों को यह तर्क देते रहे कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए व्यक्ति को बदलना पड़ता है।

जीडीपी का 10% अंबानी की संपत्ति

जेडन मैथ्यू और प्राची पिसाल

अंबानी परिवार देश का सबसे मूल्यवान कारोबारी परिवार बन कर उभरा है। बार्कलेज-हुरुन इंडिया की ताजा रिपोर्ट में उनकी संपत्ति 25.75 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो भारत की जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार यह परिवार रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में ऊर्जा, रिटेल और दूरसंचार क्षेत्रों में मुख्य तौर पर अपना कारोबार करता है।

यह रैंकिंग 20 मार्च 2024 को कंपनी के मूल्यांकन पर आधारित है। अंबानी परिवार के बाद सबसे अधिक संपत्ति रखने वाला कारोबारी परिवार है बजाज, जिनकी संपत्ति 7.13 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। पुणे आधारित इस ऑटोमोबाइल कारोबारी समूह का नेतृत्व बजाज परिवार की तीसरी पीढ़ी के युवा नीरज बजाज के हाथों में है। बिड़ला परिवार को संपत्ति मूल्य के मामले में तीसरा स्थान हासिल है। इस समूह की कमान बिड़ला परिवार की चौथी पीढ़ी के युवा कुमार मंगलम बिड़ला संभाल रहे हैं। यह समूह मुख्य तौर पर धातु, खान, सीमेंट और वित्तीय सेवाओं में कारोबार करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उपरोक्त् तीनों प्रमुख कारोबारी परिवारों की कुल संपत्ति 460 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो सिंगापुर की जीडीपी के बराबर बैठती है। इस सूची में सज्जन जिंदल को 4.71 लाख करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति के साथ चौथे तथा 4.30 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ नादर परिवार को 5वें स्थान पर रखा गया है। देश के शीर्ष 10 कारोबारी परिवारों में नादर परिवार की रोशनी नादर मल्होत्रा ही अकेली महिला हैं जो किसी कारोबारी समूह का नेतृत्व संभाल रही हैं। बार्कलेज-हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार अदाणी समूह 15.44 लाख करोड़ रुपये मूल्य के साथ सबसे मूल्यवान पहली पीढ़ी का परिवार बन कर उभरा है। नई पीढ़ी में दूसरे नंबर पर सीरम इंस्टीट्यूट वाले पूनावाला परिवार है, जिसकी संपत्ति 2.37 लाख करोड़ रुपये है। कुल 91,200 करोड़ रुपये मूल्य के साथ इस पीढ़ी में एक और फार्मा दिग्गज कंपनी के मालिक दिवी परिवार है।

खास यह कि 1,28,900 करोड़ रुपये के साथ सबसे पुराना कारोबारी परिवार भी है। यह समूह ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और बॉम्बे डाईंग के लिए मशहूर है, जिसके चेयरमैन नुस्ली वाडिया हैं। टाटा समूह को हुरुन सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हुरुन के मानकों के अनुसार परिवार को बोर्ड में सक्रिय होने की आवश्यकता है।

रियल एस्टेट दिग्गज कंपनी डीएलएफ (2,04,500 करोड़ रुपये) और मैक्रोटेक डेवलपर्स (1,12,200 करोड़ रुपये) सबसे मूल्यवान रियल एस्टेट कारोबारी परिवारों में शामिल हैं।